संख्या–840 / 9–आ–3–2001–127 काम्प / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 11 अप्रैल, 2001

विषयः गंगा नदी के तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियों को अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध का शिथिलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि शासनादेश संख्या–4503 / 9–आ–1–1998 दिनांक 16.11.1998 द्वारा गंगा नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधियों को अनुमन्य न किये जाने का प्रतिबन्ध लागू किये जाने से गंगा नदी के तट पर बसे नगरों में यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि गंगा तट पर स्थित प्राचीन भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्वार के कार्य के लिए भी अनुमति नहीं दी जा रही है ऐसे प्राचीन भवनों में भव्य हेरिटेज भवन भी सम्मिलित हैं, जिनका संरक्षण करना राज्य सरकार की प्रमुख नीति के अन्तर्गत आता है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावानुसार विशिष्ट व्यवस्था भी की जा रही है। शासन के संज्ञान में भी लाया गया है कि वाराणसी में गंगा घाट पर कुछ ऐसे पुराने हेरिटेज भवन हें जिनकी धार्मिक, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मान्यतायें भी जुड़ी है और यदि ऐसे भवनों के मरम्मत, रखरखाव व जीर्णोद्धार कार्य के लिए उक्त प्रतिबन्ध लागू रखा गया तो शनैःशनै काशी की संस्कृति से जुड़े उक्त भवन लुप्त होते जायंगे।

अतः गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन भवनों, हेरिटेज भवनों के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के सभी निर्मित भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार से सम्बन्धित सभी कार्य अनुमन्य किये जाय अन्यथा ऐसे कार्य बिना अनुमति के होंगे और उन्हें रोके जाने पर प्रतिरोध होगा। इसके अतिरिक्त इस दृष्टि से कि प्राचीन संस्कृति की अक्षुणता को बचाये रखा जाना आवश्यक है अतएव हेरिटेज भवनों के संरक्षण के सम्बन्ध में ''इन्टैक'' (INTACH) के परामर्श से कार्य अनुमन्य किये जायें। परन्तु उक्त पर अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इन भवनों में सीवरेज की ऐसी व्यवस्था है कि उसका निस्तारण नदी में न करते हुए नगर की सीवर व्यवस्था के माध्यम से है। जहां सीवर निस्तारण की ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां ऐसी व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यों को भी इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाना आवश्यक होगा।

शासनादेश दिनांक 16.11.98 द्वारा गंगा नदी तट पर 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण सम्बन्धी प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक शिथिल/संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–840/(1) 9–आ–3–2001, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. मुख्य अभियन्ता–गंगा/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव